भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न 373
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: दलहन और तिलहन की उत्पादकता में सुधार

***373· श्री कपिल सिब्बलः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में चल रहे आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत दलहन और तिलहन की उत्पादकता में अब तक हुए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2025 में किसानों द्वारा जलवायु-प्रतिरोधी बीज की किस्मों को किस सीमा तक अपनाया गया है; और

(ग) हाल की बजट प्राथमिकताओं के आलोक में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग)**:** एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"दलहन और तिलहन की उत्पादकता में सुधार" विषय पर माननीय सांसद द्वारा पूछे गए दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 373 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिलहन और दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और इन फसलों के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं नामतः राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन (एनएमईओ-ओएस) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को क्रमशः 03 अक्टूबर, 2024 और दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 को मंजूरी दी है। तिलहन मिशन के तहत वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक 07 वर्षों की अवधि के लिए 10,103.38 करोड़ रुपये और दलहन मिशन के तहत वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 06 वर्षों की अवधि के लिए 11,440 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय स्वीकृत किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान, तिलहन की उत्पादकता वर्ष 2022-23 के 1,368 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1,412 किलोग्राम/हेक्टेयर हो गयी। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान दलहन की उत्पादकता 902 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़कर 926 किलोग्राम/हेक्टेयर हो गयी।

इन मिशनों के तहत, देशभर में तिलहन और दलहन के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, किसानों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिए सहायता प्रदान की जाती है जैसे कि नवीनतम फसल किस्मों और संरक्षण प्रौद्योगिकियों का डेमॉन्स्ट्रेशन, अधिक उपज वाली बीज किस्मों का वितरण, क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमॉन्स्ट्रेशन (सीएफएलडी), फसलोपरांत और प्रसंस्करण इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता, किसानों का क्षमता निर्माण आदि। इसके अतिरिक्त, जलवायु-अनुकूल किस्मों सहित गुणवत्तापूर्ण फाउंडेशन बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, तिलहन और दलहन दोनों ही फसलों के लिए ब्रीडर बीजों की खरीद हेतु 100% सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अधिक उपज देने वाली और जलवायु-अनुकूल किस्मों को विकसित करने के लिए हैदराबाद स्थित आईसीएआर-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईओआर) और कानपुर स्थित आईसीएआर-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) में क्रमशः तिलहन और दलहन फसलों पर विभिन्न कार्यनीतिक अनुसंधान कर रही है। आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं (एआईसीआरपी) भी संचालित कर रही है, जिनका उद्देश्य तिलहन और दलहन की उत्पादक क्षमता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्थान-विशिष्ट अधिक उपज देने वाली किस्मों और उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी पैकेजों को विकसित करना है। पिछले ग्यारह वर्षों (2014-2025) के दौरान, कुल 917 अधिक उपज देने वाली जलवायु-अनुकूल किस्मों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें तिलहन की 444 किस्में और दलहन की 473 किस्में शामिल हैं। इनमें से तिलहन की 317 किस्में (71%) और दलहन की 362 किस्में (77%) बीज श्रृंखला में शामिल हैं और देश भर के किसानों द्वारा इनकी खेती की जा रही है।

(ग) भारत सरकार, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) कार्यान्वित कर रही है। पीएसएस के तहत इच्छुक और पंजीकृत किसानों से एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद की जाती है ताकि राज्यों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सके।

पिछले ग्यारह वर्षों में, देश में विभिन्न प्रकार के दलहन के लिए एमएसपी में 78 से 118 प्रतिशत और तिलहन के लिए 82 से 165 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 और 2025-26 के दौरान, तिलहन और दलहन के लिए एमएसपी का फसल-वार विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 से अब तक, किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए कुल 157.31 लाख टन तिलहन और 197.11 लाख टन दलहन की खरीद की गई है।

इसके अलावा, दलहन मिशन के तहत फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 528 प्रसंस्करण इकाइयां आवंटित की गई हैं। इसी प्रकार तिलहन मिशन के तहत, प्राथमिक तिलहन और चावल की भूसी, कपास के बीज और वृक्षजनित तेल जैसे द्वितीयक स्रोतों के संग्रहण, निष्कर्षण और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर (तेल मिलों) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तिलहन मिशन के तहत विभिन्न राज्यों को 348 तेल निष्कर्षण इकाइयां स्वीकृत की जा चुकी हैं।

अनुबंध-I

वर्ष 2014-15 और 2025-26 के दौरान तिलहन और दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का फसल-वार विवरण:

(एमएसपी रुपये/क्विंटल में)

तिलहन	**2014-15**	**2025-26**
मूंगफली	4000	7263
रामतिल	3600	9537
रेपसीड/सरसों	3100	5950
कुसुम	3050	5940
तिल	4600	9846
पीला सोयाबीन	2560	5328
सूरजमुखी बीज	3750	7721

(एमएसपी रुपये/क्विंटल में)

दलहन	**2014-15**	**2025-26**
चना	3175	5650
मसूर	3075	6700
मूंग	4600	8768
तुअर (अरहर)	4350	8000
उड़द	4350	7800
